



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या :410-वि0प0(21)/पाकालि/2018-4(1)-वीपी/92 टीसी

दिनांक : 06 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री मुकेश मोहन निगम, अधिवक्ता (पंजीकरण सं0-यू0पी0-4109/1994) द्वारा मा0 जिला उपभोक्ता फोरम लखनऊ के समक्ष लम्बित निस्पादन सं0-21/2011(परिवाद सं0-676/2005 मालती देवी बनाम उ0प्र0 पाकालि व अन्य) में की गई पैरवी में घोर लापरवाही के कारण एतद्द्वारा उनको तत्काल प्रभाव से कारपोरेशन के समस्त पैनल से हटाया जाता है।

निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशा0)

संख्या:-410(1)वि0प0(21)/पाकालि/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 2-मा0 अध्यक्ष व्यथा निवारण फोरम/जिला उपभोक्ता फोरम, लखनऊ।
- 3-प्रबन्ध निदेशक/निदेशक(का0प्र0एवं0प्रशा0) महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4-प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
- 5-मुख्य अभियन्ता(लेसा), (ट्रान्स गोमती) स्काडा भवन, मंत्री आवास विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
- 6-मुख्य अभियन्ता(लेसा), सिस गोमती, बंगला बाजार, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0 लखनऊ।
- 7-अधीक्षक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4ए गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 8-अधिशायी अभियन्ता वि0वि0ख0/नगरीय खण्ड लेसा, मध्यांचल वि0वि0नि0लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिवक्ता से सम्बन्धित वादों की पत्रावलियों तत्काल प्राप्त कर अपने स्तर से निगमीय अधिवक्ता को आवंटित कर विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 9-अधिशायी अभियन्ता(वेब), उ0प्र0पाकालि शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10-उप विधि अधिकारी मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, 4ए गोखले मार्ग, लखनऊ।
- 11-मुकेश मोहन निगम, अधिवक्ता पता-416/59, दिलेराम बारादरी, चौपटिया, लखनऊ (मो0-9415544185)
को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे आवंटित वादों की समस्त पत्रावलियों सम्बन्धित क्षेत्र/इकाई को तत्काल हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

स्पीड
पोस्ट

आज्ञा से
(चन्द्रोदय कुमार)
एच0जे0एस0
विधि अधिकारी